भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2571
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालय

2571. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
डॉ. निशिकांत दुबे :
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित न्यायालय योजना के अंतर्गत अभिकल्पित लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) देश में त्वरित न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और झारखंड और कर्नाटक सहित गठित और कार्यरत एफटीसी की संख्या कितनी है :

(ग) तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन न्यायालयों द्वारा प्राप्त उपलब्धि तथा स्थानांतरित और निपटाए गए मामले एवं वर्तमान में इन न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी न्यायालयों के लिए कुल आवंटित और व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या एफटीसी को प्रदान की जा रही निधि इन न्यायालयों के आवर्ती और अनावती व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है एवं यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(च) क्या कुछ राज्य केन्द्रीय सहायता बंद करने के बाद से ही अपने संसाधनों से एफटीसी को सहायता प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(छ) क्या सरकार का विचार देश में अधिक संख्या में एफटीएस स्थापित करने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (छ) : त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना का लक्ष्य और उद्देश्य जघन्य अपराधों, ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग और एच आई वी- एड्स से प्रभावित कक्षीकारों और अन्य लाइलाज बीमारियों और भूमि अर्जन से संबंधित सिविल विवादों और पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित सम्पत्ति/भाटक मामले के त्वरित निपटान के लिए है।

त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना और इसकी कार्य पद्धति संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन 11वें वित्त आयोग के दौरान लम्बे समय से लंबित मामलों के निपटान के अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर किया गया था कि एक ऐसा न्यायालय एक वर्ष में 168 मामलों का निपटारा करता है। तत्पश्चात् 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या राज्य के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या की 10% होनी चाहिए । 14वें वित्त आयोग 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों को स्थापित करने की सिफारिश की थी और राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया था कि इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए वित्तीय स्थान का उपयोग करें। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा आंवंटित निधियों और 14वें वित्त आयोग के आगे की अवधि से इन न्यायालयों पर उनके व्यय का विवरण केंद्रीय सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। वर्तमान में, झारखंड और कर्नाटक सहित 956 कार्यरत त्वरित न्यायालय हैं। झारखंड और कर्नाटक सहित देश में प्रस्तावित और कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या **उपाबंध-1** पर दी गई है। अंतिम तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ इन त्वरित निपटान न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराया गया है की सूचना **उपाबंध-2** में दी गई है।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2571 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है।

देश में प्रस्तावित और कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या (मई, 2021)
1.	आंध्र प्रदेश	47	21
2.	तेलंगाना	37	34
3.	असम	36	15
4.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
5.	मिजोरम	07	2
6.	नागालैंड	03	1
7.	बिहार	147	33
8.	छत्तीसगढ	28	23
9.	गुजरात	174	35
10.	हिमाचल प्रदेश	13	0
1 1	जम्मू-कश्मीर	21	7
12.	झारखंड	50	41
13.	कर्नाटक	95	16
14.	केरल, लक्षद्वीप	41	28
15.	मध्य प्रदेश	133	0
16.	महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमण और दीव	204	114
17.	गोवा	05	3
18.	मणिपुर	03	6
19.	मेघालय	04	0
20.	ओडिशा	63	0
21.	पंजाब	50	7
22.	चंडीगढ़	02	0
23	हरियाणा	48	6
24.	राजस्थान	93	0
25.	सिक्किम	01	2
26.	तमिलनाडु, पुडुचेरी	89	74
27.	त्रिपुरा	09	11
28.	उत्तर प्रदेश	212	372
29.	उत्तराखंड	28	4
30.	पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीव समूह	94	88
31.	दिल्ली	63	13
	कुल	**1800**	**956**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2571 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है ।

लंबित मामलों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों में निपटाए गए मामलों की संख्या के संबंध में सूचना ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2018 में निपटाए गए मामलों की संख्या	2019 में निपटाए गए मामलों की संख्या	2020 में निपटाए गए मामलों की संख्या	2021 में निपटाए गए मामलों की संख्या (मई 2021 तक)	लंबित मामले (31.05.2021 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	3949	427	26	26	6153
2.	असम	2314	1319	302	328	8744
3.	मिजोरम	215	79	13	8	201
4.	नगालैंड	8	0	1	1	30
5.	बिहार	11525	1789	184	350	12252
6.	छत्तीसगढ	3862	996	194	175	6829
7.	दिल्ली	638	226	21	4	4638
8.	गोवा	0	0	0	11934	1836
9.	महाराष्ट्र	160641	29779	5119	3039	163112
10.	गुजरात	0	0	35	22	5682
1 1	हरियाणा	768	162	1	3	724
12.	पंजाब	0	0	23	13	431
13.	जम्मू और कश्मीर	0	20	0	62	2261
14.	झारखंड	1946	430	14	4	5986
15.	कर्नाटक	0	0	44	44	3346
16.	केरल	0	0	101	24	6477
17.	मणिपुर	190	19	10	1	435
18.	सिक्किम	19	8	0	0	20
19.	तमिलनाडु	14911	688	2811	83	94252
20.	त्रिपुरा	1423	38	18	7	1560
21.	उत्तर प्रदेश	234182	71034	7083	2638	526704
22.	उत्तराखंड	562	83	14	10	664
23	पश्चिमी बंगाल	16358	3071	708	102	58955
24.	तेलंगाना	1694	4942	178	87	12200
	कुल	**455205**	**115110**	**16900**	**18965**	**923492**

****